

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर छतरपुर वनमंडल छतरपुर अन्तर्गत आवेदित 9.7975 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 के कि.मी. 88 से 130 तक चौड़ीकरण / मजबूतीकरण निर्माण हेतु प्रकरण के यातायात के महत्व को देखते हुए, उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 2.5.2017
स्थान: भोपाल

(महेन्द्र सिंह शाकड़)
(सचिव वन विभाग)
म.प्र. शासन वन विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)